



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247026  
CG-DL-E-05072023-247026

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]  
No. 169]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ 13, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय  
संकल्प

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश

संख्या 15/3/2018-ट्रांस-पार्ट(3).—विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10.08.2021 के संकल्प संख्या 15/1/2017-ट्रांस द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किये गये थे।

इस संबंध में, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 15 को एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

परियोजना निरूपण

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
.....सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा सीटीयू और बीपीसी नाम की (एनसीटी) एजेंसियों के बीच रौस्टर बनाकर आवंटित किया जाएगा। किसी भी पारेषण परियोजना के निष्पादन के तरीके के संबंध में वास्तविक निर्णय के बाद, संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट, खर्च की प्रतिपूर्ति पर सर्वेक्षण के लिए एनसीटी द्वारा नामित एजेंसी से पारेषण परियोजना की बोली लगाने वाली एजेंसी द्वारा प्राप्त की जाएगी।	.....राष्ट्रीय पारेषण समिति(एनसीटी) संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयकों (बीपीसी) को पारेषणपरियोजनाओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट करने का कार्य आवंटित करेगी।

[फा. सं.15/3/2018-ट्रांस-पार्ट(3)]

डॉ. साई बाबा दर्भमुल्ल, संयुक्त सचिव (ट्रांस)

**MINISTRY OF POWER****RESOLUTION**

New Delhi, the 4th July, 2023

**Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects**

**No. 15/3/2018-Trans-Part(3)-** The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified vide Ministry of Power Resolution No. 15/1/2017-Trans dated 10.08.2021, under the provisions of the Electricity Act, 2003.

In this regard, Para 15 of the above Guidelines is hereby amended as under:

**PROJECT FORMULATION**

<b>Existing Para</b>	<b>Amended Para</b>
.....The task of preparing survey report shall be allocated by National Committee on Transmission (NCT) by maintaining a roster amongst agencies namely CTU & BPCs. After actual decision regarding the mode of execution of any transmission project, the relevant survey report shall be procured by the agency bidding out the transmission project from the agency nominated by NCT for survey upon reimbursement of the cost incurred.	.....The NCT shall allocate the task of carrying out survey report of transmission projects to the respective Bid Process Coordinators (BPCs).

[F. No. 15/3/2018-Trans-Pt(3)]

Dr. SAI BABA DARBAMULLA, Jt. Secy. (Trans)